न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

रमेश तनय मकुंदी लिटौरिया

निबासी पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....आवेदक

वनाम

1– किशोरी लाल कुश्वाहा पुत्र श्री सी कुश्वाहा

2– नंदराम तनय कमल अहिरवार ,

3– कारेलाल तनय राजाराम राय ,

4– पुष्पेन्द्र तनय पन्नलाल यादव ,

5– सत्येन्द्र तनय स्वामी प्रसाद खरे ,

6– पन्नालाल तनय राधाचरण रावत,

सभी निबासी पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला द्वारा प्र0 क0 69/बी121/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/12/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 171- एक /2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों के अभि.के हस्ता
18-1-16. for	यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 69 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21-12-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि किशोरी लाल कुशवाह एंव अन्य पांच ने मान0उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन कमांक 17921/2015 में पारित आदेश दिनांक 17-11-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रस्तुत की, जिस पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 69 बी-121/2015-16 पंजीबद्व कर सुनवाई प्रारंभ की। पेशी 21.12.2015 को पक्षकारों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार पलेरा ने कलेक्टर टीकमगढ़ को वादविषय में दशाई गई भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवेदन कमांक 416/ रीडर/तह0/2015 दिनांक 26-12-2015 प्रस्तुत किया है जिसमें स0नं0 1806 की कुछ भूमि भूमिस्वामियों के खाते की एंव कुछ भूमि शासकीय होना बताई है। आवेदक के अभिभाषक के अनुसार कलेक्टर टीकमगढ़ ने मान0उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण का निराकरण न करके गलत आधारों पर स्थगन आदेश दिया है। उन्होंने कलेक्टर टीकमगढ़ के अंतरिम आदेश दि. 21.12.2015 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।	

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुक्रम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब आवेदक वादोक्त भूमि का शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी अंकित है सर्वप्रथम कलेक्टर, टीकमगढ़ को माननीय उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये आदेश दि. 17-11-15 अनुसार कार्यवाही करना चाहिये थी। माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर टीकमगढ़ को निम्नानुसार आदेश दिये हैं :-

" However, it is clarified that the we have not expressed any opinion on the merits of the allegations made by the petitioner and it is exclusively for the Collector to look into this matter and take action after affording opportunity of hearing to all concerned, within a period of six months.

परन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने सभी पक्षकारों को सुने बिना ही अंतरिम आदेश दिनांक 21.12.15 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी कर दिये जाने के कारण उनके व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.12.15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 69 बी-121/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा रिट पिटीशन कमांक 17921/2015 पीआईएल में पारित आदेश दिनांक 17-11-15 में अंकित अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण निश्चित समयावधि में गुणदोष के आधार किया जावे।

सदस्य